उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010–12 दिनांकः नवम्बर 20, 2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित होने वाले एक थाने से दूसरे थाने को स्थानान्तरित विवेचना के निस्तारण हेतु निर्देश विषयक।

ज्ञातव्य है कि एक थाने से दूसरे थाने को स्थानान्तरित विवेचना सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित हो रही हैं। जिसके सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों / राजकीय रेलवे पुलिस की समीक्षा की गयी। समीक्षा में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जो अभियोग उत्तर प्रदेश के किसी थाने से उसी जनपद के अन्य थाने या अन्य जनपद के अन्य थाने या दूसरे प्रदेश के अन्य थाने पर स्थानान्तरित हो जाते हैं उनके निस्तारण समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

2. जिन अभियोगों को कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के (CAS) ऑन–लाइन माड्यूल में एक थाना से दूसरे थाने में स्थानान्तरित कर दिया जाता है और दूसरे थाने द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है वह प्रथम पंजीकृत थाने से स्थानान्तरण के उपरान्त उस थाने पर लम्बित प्रदर्शित नहीं होते हैं और न ही प्रथम थाने द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त उस अभियोग पर कोई कार्यवाही कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) में की जा सकती है।

3. इसके अतिरिक्त कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के (CAS) के ऑफ–लाइन मॉड्यूल में एक थाना से दूसरे थाने घटनास्थल अन्य होने के कारण अभियोग के स्थानान्तरण हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायः–

जिस थाने को अभियोग स्थानान्तरित हुआ है और उस थाने द्वारा उक्त अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में जिस थाने में अभियोग बाद में पंजीकृत किया गया उस थाने पर दर्ज किये गये उक्त अभियोग का क्राइम नम्बर, धारा, थाना, जनपद एवं राज्य का नाम तथा पंजीकरण की तिथि की सूचना प्राप्त कर ली जाय। अभियोग स्थानान्तरित करने वाले पूर्व के थाने जहॉ का घटनास्थल नहीं है, विवेचना में उक्त तथ्यों को उल्लिखित करते हुए जुर्म खारिजा अन्तिम रिपोर्ट सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड कर दें।

4. उपरोक्त प्रक्रिया सभी ऐसे विवेचनाधीन अभियोगों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित विवेचनायें अद्यावधिक हो सकें। उ0 प्र0 राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा इसमें विशेष रूचि लिये जाने की आवश्यकता है।

20/11

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री सुमित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर (एस0आई0), मेसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ।
2. समस्त, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
3. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
4. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।